न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 12 / 2012 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. रतनलाल पिता लवजी, जाति पटेल, निवासी चौखला, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (मृतक) के वारिसान :–

   (क) ताजेग पिता रतनजी, जाति पटेल, निवासी चौखला, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

   (ख) रमेश पिता रतनजी, जाति पटेल, निवासी चौखला, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

   (ग) गमीरी पुत्री रतनजी, जाति पटेल, निवासी चौखला, हाल मुकाम अपने पति गमीरचन्द्र, निवासी चौखला, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा।

   (घ) गंगा पुत्री रतनजी, जाति पटेल, निवासी चौखला, हाल मुकाम अपने पति मोगजी, निवासी चौखला, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा।

   (ङ) सुशीला पुत्री रतनजी, जाति पटेल, निवासी चौखला, हाल मुकाम अपने पति रमेशचन्द्र, निवासी सुरवनीया, तहसील व जिला बांसवाड़ा।

   (च) बबली पुत्री रतनजी, जाति पटेल, निवासी चौखला, हाल मुकाम अपने पति जगदीश, निवासी सुवाला, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा।

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्री अक्षराज पिता कुरीया, जाति पटेल, निवासी चौखला, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (मृतक) के वारिसान :–

   (क) दिपेश पिता अक्षराज, जाति पटेल, निवासी चौखला, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

   (ख) श्रीमती कडवी बेवा अक्षराज, जाति पटेल, निवासी चौखला, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

   (ग) श्रीमती नाथी पुत्री लपजी, जाति पटेल, निवासी चौखला, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, बागीदौरा
दिनांक 29.02.2012 प्र.सं. 128 / 2006

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री एम.के. गांधी अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री आर.पी. निगम अभिभाषक रेस्पो. सं. 1

3– राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2

———::———

निर्णय दिनांक 20–02–2018

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलान्ट द्वारा प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध एक वाद इन्द्राज दुरस्ती एवं खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के एक मात्र स्वामित्व आधिपत्य एवं खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी नंबर 123 व 124 कुल किता 2 रकबा 26 बीघा 15 बिस्वा भूमि ग्राम बडोदीया में स्थित है, जिसमें से सर्वे नंबर 123 में से 7 बिस्वा भूमि माही परियोजना सिंचाई विभाग में जाने से नामान्तरकरण संख्या 878 से कमी हुई जो जमाबन्दी संवत् 2036 से 2039 में प्रविष्ट है, जिसमें वर्तमान सर्वे नंबर वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार हैं। वादग्रस्त भूमि पर एक मात्र कब्जा वादी का है तथा वादग्रस्त सर्वे नंबर 156 रकबा 1.81 हैक्टर भूमि प्रतिवादी अक्षयराज ने भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों से मिलकर अपने नाम दर्ज करा ली है। अक्षयराज की भी करीब 4 माह पूर्व मृत्यु हो चुकी है, जिसके वारिस ''अ'' व ''ब''पुत्र एवं पत्नी है, उनका वादग्रस्त जमीन पर कब्जा न हीं है, न ही कोई हक अधिकार है। वादी ने उक्त भूमि प्रतिवादी को विक्रय नहीं की है न ही किसी प्रकार का हस्तान्तरण किया है, फिर भी भू–प्रबन्ध विभाग ने अवैध व अनाधिकृत रूप से प्रतिवादी के नाम की प्रविष्टि की है, जबकि इस प्रकार की प्रविष्टि करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। निवेदन किया कि सर्वे नंबर 124 रकबा 23 बीघा 15 बिस्वा के नये नंबर 156 रकबा 1.81 हैक्टर की अक्षयराज के नाम की गयी प्रविष्टि को हटाया जाकर वादी को एक मात्र खातेदार घोषित किया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि स्वयं वादी ने भू–प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष वादग्रस्त भूमि पैत्रृक सम्पत्ति स्वीकार करते हुए प्रतिवादी के हिस्से की भूमि प्रतिवादी के नाम प्रविष्ट करने की स्वीकृति दी है तथा प्रतिवादी का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। वादी का वाद खारिज किया जावे।

प्रतिवादी द्वारा काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सर्वे नंबर 124 रकबा 23 बीघा 15 बिस्वा, जिसके वर्तमान सर्वे नंबर 156, 1714 व 1715 बने हैं प्रतिवादी संख्या 1 व वादी के पिता लवजी पिता झितेंग के खातेदारी की होकर प्रतिवादी का भी 1/2 हिस्सा है। वाद बंटवाड़ा हेतु/घोषणा सहकृषक हेतु कोई परिसीमा सुनिश्चित नहीं होने से काउण्टर क्लेम अन्दर मयाद पेश है। अतएवं निवेदन किया कि सर्वे नंबर 124 रकबा 23 बीघा 15 बिस्वा, जिसके वर्तमान सर्वे नंबर 156, 1714 व 1715 बने हैं, का विभाजन किया जाकर प्रतिवादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे।

उक्त काउण्टर क्लेम के खण्डन का जवाब भी वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार 5 तनकियात कायम की :–

1. क्या वादी के एक मात्र स्वामित्व व आधिपत्य तथा खातेदारी का खेत खाता संख्या नयी 339 पुरानी 294 के सर्वे नंबर 123 व 124 कुल खेत 2 रकबा 26 बीघा 15 बिस्वा स्थित ग्राम बडोदिया तहसील बागीदौरा में होकर वादी के कब्जे काश्त है, जिसमें से सर्वे नंबर 123 में से 7 बिस्वा भूमि माही परियोजना सिंचाई विभाग में जाने से कम हुई है। वादग्रस्त भूमि के नये नंबर 156, 1714, 1715, 1717 व 1719 बने हैं ? ..... वादी
2. क्या प्रश्नगत भूमि सर्वे नंबर 156 रकबा 1.81 हैक्टर वर्तमान जमाबन्दी संख्या 2061 में अक्षयराज पिता कुरीया पटेल के नाम भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों ने वादी को बिना सुने अवैध रूप से दर्ज कर दी है ? ..... वादी
3. क्या वर्तमान सर्वे नंबर 1714, 1715, 1717 वादी के एक मात्र खातेदारी की नहीं होकर पैत्रृक है ? ..... प्रतिवादी
4. क्या सर्वे नंबर 124 वर्तमान सर्वे नंबर 156, 1714, 1717 प्रतिवादी संख्या 1 (स) नाथी व वादी के पिता लवजी पिता झितेंग निवासी चोखला के खातेदारी की कृषि भूमि होकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 (अ, ब, स) के आधिपत्य की कृषि भूमि है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 (स) का हिस्सा 1/2 निहित है ? ..... प्रतिवादी

5. दादरसी ?

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पेश शुदा साक्ष्य सबूतों के आधार पर विश्लेषण करते हुए अपने निर्णय दिनांक 29–02–2012 से वादी/अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 25–04–2012 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 (अ, ब, स) की ओर से वकील श्री आर. पी. निगम उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को ही पुनः वक्त बहस दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रमुख रूप से यह उजर लिया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों एवं तथ्यों का कोई विवेचन नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 1 वादी/अपीलान्ट के पक्ष में निर्णित की है जो सही है, किन्तु तनकी नंबर 2 वादी/अपीलान्ट के विरूद्ध गलत रूप से निर्णित की है। इस तनकी के विवेचन में अधिनस्थ न्यायालय ने जवाब पैरोकार ने यह बताया है कि भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों ने खसरा परिशोधन के द्वारा वादी रतनजी की सगी बहन के पुत्र के नमा उक्त खाते का हस्तान्तरण मजमे आम में तत्कालीन सरपंच तथा अन्य मौतबीरान को सुनने के बाद किया है, जबकि उक्त कथन के संबंध में किसी प्रकार की साक्ष्य भूमिधारी प्रतिवादी की नहीं हुई हैं, फिर भी यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित करने में भूल की है। तनकी नंबर 3 के संबंध में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है तथा तनकी नंबर 4 का निर्णय भी विधि विरूद्ध किया गया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौलिक रूप से तनकी नंबर 1 के सन्दर्भ में निर्णय वादी/अपीलान्ट के पक्ष में किया है। अर्थात विवादित भूमि को पूर्व में वादी की होना माना है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 2 के सन्दर्भ में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा खसरा परिशोधन के सन्दर्भ में की गयी कार्यवाही को मान लिया है, जबकि अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2009–10 (Supp.) पेज 143 अनुसार भू–प्रबन्ध विभाग को इस प्रकार किसी को खातेदारी दिये जाने अथवा खाते में नाम जोड़ने की कोई अधिकारिता नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त विधि विरूद्ध एवं सक्षमता विरूद्ध भू–प्रबन्ध द्वारा किये गये कार्य को सहमति के अधिकार पर मान्यता दे दी है, जबकि सहमति से अधिकारों का सृजन नहीं होता है वह सिर्फ विधि के प्रवाह में ही होता है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होकर अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–02–2012 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि काउण्टर क्लेम पर भी वांछनीय होने पर निर्णय पारित करें एवं उभयपक्षों को पुनः सुनकर हमारे उपरोक्त किये गये प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए विधि के आलोक में निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 20–04–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 20–02–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

देवचन्द पिता लसा, जाति भील, नि0 सेरावाला, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा बनाम **कपरा पिता नाथु, जाति भील, नि0 सेरावाला, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं.....**189 / 2011**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**बागीदौरा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....03**.....माह.....**11**.....**2010**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**09**....माह.....**.11**.....सन् **2017** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी....**श्री जयेन्द्र पुरोहित**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री महेन्द्र कुमार गांधी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 03–11–2010 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**09**.....माह.....**.11**.....**2017** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।